भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 682
उत्तर देने की तारीख 23 जुलाई, 2025

दूरसंचार नेटवर्क को सुरक्षित करने संबंधी पहल

682. श्री बिप्लब कुमार देव:
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा फाइबर-टू-द-होम कनेक्शनों में वृद्धि करने, दूरसंचार नेटवर्क की खतरों से सुरक्षा करने, धोखाधड़ी को रोकने, दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना करने और डेटा केन्द्रों तथा हरित ऊर्जा पहलों का विकास करने के लिए कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ख) सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्शनों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए: दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 25.10.2021 को जारी एकीकृत लाइसेंस संशोधन के माध्यम से, 'सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी लाइसेंस/अनुमति के तहत कर्याकलापों (केबल टीवी सेवाओं सहित)' से प्राप्त राजस्व में कटौती करने के लिए अनुमति दी गई है ताकि इंटरनेट सेवा सह केबल टीवी ऑपरेटरों के लिए लागू सकल राजस्व (एपीजीआर) की गणना की जा सके।

ii. दूरसंचार नेटवर्क को खतरों से सुरक्षित करने के लिए: दूरसंचार विभाग द्वारा दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 22 के अंतर्गत दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम, 2024 और महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना नियम, 2024 अधिसूचित किए गए हैं। दूरसंचार साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल (टीसीएसआइआरटी) फ्रेमवर्क जो, एक क्षेत्रीय विशिष्ट सीइआरटी है दिनांक 03.08.2022 को जारी किया गया है। सभी सेवा प्रदाताओं को अधिदेशित किया गया है कि वे अपने नेटवर्क की जांच करें अथवा सुरक्षा की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी एजेंसी के माध्यम से नेटवर्क की जांच करवाएँ। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने देश के दूरसंचार नेटवर्क के लिए संभावित साइबर खतरों का पता लगाने और हितधारकों को आवश्यक कार्रवाई हेतु सतर्क करने के लिए दूरसंचार सुरक्षा प्रचालन केंद्र (टीएसओसी) की स्थापना की है।

iii. फ्रॉड को रोकने के लिए: दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को संदिग्ध धोखाधड़ी की सूचना देने के लिए संचार साथी पहल शुरू की है। दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु हितधारकों के बीच दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग से संबंधित जानकारी साझा करने हेतु ऑनलाइन सुरक्षित डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी विकसित किया है।

iv. दूरसंचार विभाग द्वारा कोई दूरसंचार विनिर्माण जोन स्थापित नहीं किया गया है।

v. देश में डेटा केंद्रों के विकास के लिए: पांच (5) मेगावाट आईटी लोड की न्यूनतम क्षमता वाले डेटा केंद्रों को आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित संचार श्रेणी के तहत अवसंरचना के उप-क्षेत्रों की हार्मोनाइज्ड मास्टर सूची (एचएमएल) में शामिल किया गया है।

vi. हरित ऊर्जा संबंधी पहलों के लिए: विशेषकर दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (मुख्य रूप से सौर ऊर्जा) के माध्यम से बड़ी संख्या में दूरसंचार टावरों में बिजली प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत, दूरसंचार विभाग सक्रिय रूप से अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सरकारी भवनों और कार्यालयों में रुफटॉप सौर पैनल लगाने की सुविधा प्रदान कर रहा है।

*****